

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संयिका संख्या-7/भूदान (पुनर्गठन)-42/2006

अधिसूचना

संख्या-एस0ओ0.....चूँकि अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-126 दिनांक-23 सितम्बर, 2006 द्वारा गठित बिहार भूदान यज्ञ समिति की निर्धारित चार वर्षों की कालावधि 22 सितम्बर, 2010 को पूरी हो चुकी है, अतएव बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (बिहार अधिनियम 22, 1954) की धारा-4 के अधीन उक्त समिति को पुनर्गठित करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (बिहार अधिनियम 22, 1954) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से श्री शुभ मूर्ति, रोसड़ा, समस्तीपुर को उपर्युक्त समिति का अध्यक्ष और निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करते हैं :-

सदस्यगण

1. डॉ० रामजी सिंह, पूर्व सांसद, भीखनपुर, भागलपुर, अध्यक्ष, बिहार सर्वोदय मंडल, काँग्रेस मैदान, कदमकुआँ, पटना-1
2. श्री त्रिपुरारि शरण, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समिति, मन्दिरी, पटना।
3. डॉ० रजी अहमद- मंत्री, गाँधी संग्रहालय, पटना।
4. श्री रामचन्द्र चौधरी- प्रधान मंत्री, ग्राम निर्माण मंडल, गया, मन्दिरी, पटना।
5. श्री कपिलेश्वर राम- एकता परिषद, अनुराग अस्पताल के पास, बेली रोड, पटना।
6. श्री तपेश्वर भाई-कोषाध्यक्ष, बिहार सर्वोदय मंडल, काँग्रेस मैदान, कदमकुआँ, पटना।
7. श्री सिंहेश्वर दास- ग्राम-चकतुलसी, पो०-कोटिया, जिला-समस्तीपुर।
8. श्री फेक नारायण मंडल-छातापुर, सुपौल।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव

एस०ओ०.....एस०ओ०.....दिनांक.....का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

ह०/-  
(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव

S.o. .... whereas, the Bihar Bhoodan Yagna Committee constituted under notification no. S.o 126 dated 23rd September, 2006 has completed term of office of four years on the 22nd September, 2010 and whereas, it has become necessary to reconstitute the said committee under section-4 of the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954 (Bihar Act, 22 of 1954) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-4 of the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954 (Bihar Act 22 of 1954), the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Shubh Murti, Rosara, Samastipur as chairman and the following persons as members of the said Committee with effect from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

### Members

1. Dr. Ramji Singh- Former M.P, Bhikhanpur, Bhagalpur, Chairman, Bihar Sarvoday Mandal, Congress Maidan, Kadamkuan, Patna.-1
2. Shri Tripurari Sharan- Chairman, Rashtriya Lok Samiti, Mandiri, Patna.
3. Dr. Razi Ahmad- Secretary, Gandhi Museum, Patna.
4. Shri Ram Chandra Choudhary- Principal Secretary, Gram Nirman Mandal, Gaya, Mandiri, Patna.
5. Shri Kapileshwar Ram- Ekta Parishad, Near Anurag Hospital, Baily Road, Patna.
6. Shri Tapeshwar Bhai- Treasurer, Bihar Sarvoday Mandal, Congress Maidan, KadamKuan, Patna.
7. Shri Sinheswar Das- Villae-Chaktulsi, P.o.- Kothia, Distt.- Samastipur.
8. Shri Fek Narayan Mandal- Chhata pur, Supaul.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-

**(Rajendra Prasad Ojha)**  
Joint Secretary

ज्ञाप संख्या-7/भूदान (पुनर्गठन)-42/2006....., पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की दो हार्ड प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी पचास (50) अतिरिक्त प्रतियां विभाग को आपूर्ति करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-....., पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति, गर्दनीबाग, पटना एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-....., पटना, दिनांक-.....


प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सभी समाहर्ता/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अर्जन/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, सर्वे एवं प्रशाखा-1, 3 एवं 7, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- 459 (7) 2011....., पटना, दिनांक- 2-6-2011

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)  
संयुक्त सचिव